# जनमत संग्रह

## चर्चा में क्यों ?

- तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 में किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि *"भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में जनता की राय स्थापित संस्थानों के माध्यम से ली जानी चाहिए।"*

## याचिकाकर्ताओ का तर्क

- पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा यह बात तब कही गयी जब  वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपने तर्क में कहा कि अनुच्छेद 370 में संशोधन की प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर के लोगों की सहमति के बिना केंद्र द्वारा "एकतरफा" नहीं की जा सकती थी।
- याचिकाकर्ताओं के द्वारा *ब्रेक्सिट जनमत संग्रह* का हवाला दिया गया (जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से हटने का फैसला किया) और कहा कि जब आप किसी रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको अंततः लोगों की राय लेनी चाहिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 अक्तुबर 1949 को जोड़ा गया था। एक *"अस्थायी प्रावधान"* के रूप में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से छूट दी गई थी और राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया।

एन गोपालस्वामी आयंगर अनुच्छेद 306A के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए संविधान का मसौदा पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता में अद्वितीय स्थिति और राज्य के स्थायी नागरिकों के लिए कानून बनाने की शक्ति को मान्यता दी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को अन्य बातों के अलावा, 1954 के राष्ट्रपति के आदेश में बहिष्करण के साथ कश्मीर पर लागू घोषित किया गया था। अगस्त, 2019 में राष्ट्रपति के आदेश से, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर दो नए केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (बगैर विधानसभा के) की स्थापना की गई।

- अनुच्छेद 370 के फैसले के केंद्र में जनता है, भारत संघ नहीं। इसलिए यह अनुच्छेद की मूल भावना के विपरीत है।
- "भारत संघ का एक कार्यकारी अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू है जिसे भारत, संविधान के प्रावधानों के तहत बदल नहीं सकता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 को लागू करने में भारत सरकार और संसद द्वारा दी गई विशेष छुट से भी छुटकारा पाना शामिल है।"
- 5 नवंबर, 1991 को जम्मू-कश्मीर संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला द्वारा दिए गए एक भाषण का भी हवाला दिया गया कि कैसे तत्कालीन राज्य के पूर्व सीएम ने जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच स्थिति को "मनमाने ढंग से" बदलने के किसी भी प्रयास के प्रति आगाह किया था।

## सुप्रीम कोर्ट का तर्क

- CJI के अनुसार "संवैधानिक लोकतंत्र में, लोगों की राय स्थापित संस्थानों के माध्यम से लेनी होती है। जब तक लोकतंत्र अस्तित्व में है, संवैधानिक लोकतंत्र के संदर्भ में, लोगों की इच्छा के लिए कोई भी सहारा स्थापित संस्थानों के संदर्भ में मांगा जाना चाहिए।
- ब्रेक्सिट एक राजनीतिक निर्णय है जो तत्कालीन सरकार द्वारा लिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान के भीतर, जनमत संग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं है।